राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(भारत सरकार का उपक्रम - "मिनी रत्न॰- कम्पनी)
केन्द्रीय राज्य फार्म
सूरतगढ़, श्रीगंगानगर, राजस्थान-335804
सीआईएन:यू74899डीएल1963जीओआई 003913
(आईएसओ 9001:2015 व 14001:2015 प्रमाणित कंपनी)

(A Government of India Undertaking "Mini Ratna" Company)
CENTRAL STATE FARM
Suratgarh, Sriganganagar, Rajasthan-335804
CIN:U74899DL1963GOI 003913
(An ISO 9001:2015 & 14001:2015 Certified Company)

दूरभाष/Phone: 01509-220006, 220084, 223877
वेबसाईट/Website: www.indiaseeds.com ईमेल/ E-mail: csf.suratgarh@indiaseeds.com

No. CSF/SOG/HRT/02/2023-24/ दिनांकः–02/01/2024

निविदा सूचना

केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर (राज.) स्थित फलों के बगीचे में वर्ष 2023–24 में किये जाने वाले फलदार पोधो की **कटाई छंटाई एवं निराई गुड़ाई** के कार्यों को करने हेतु लिमिटेड निविदा दिनांक 03/01/2024 को प्रातः 10.00 बजे से दिनांक 17/01/2024 दोपहर 01.00 बजे तक आयोजित की जा रही है जो कि 17/01/2024 दोपहर 3.00 बजे खोली जायेगी। निविदा भरने से पहले ऑनलाइन माध्यम से **निविदा प्रपत्र राशि 236/– रुपये (200+18% GST)** अथवा **ई.एम.डी. राशि रूपये 8000/–** (रूपये आठ हजार) मात्र जमा कराना होगा। निविदा प्रपत्र एवम् कार्य के नियम व शर्तें निगम की वेब साईट www.indiaseeds.com से भी डाउनलोड की जा सकती है या दिनांक 03.01.2024 से किसी भी कार्य दिवस में 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक निविदा प्रपत्र राशि जमा कर फार्म से प्राप्त की जा सकती हैं। निविदादाता को अपने पेन कार्ड न. की फोटोप्रति व वर्तमान आवासीय पते हेतु आधार की फोटो प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करनी होगी।

सहा. प्रबन्धक (उ.)
कृते फार्म प्रमुख

PARTICULARS	DETAILS
Date of issue of NIT	03.01.2024
Tender Document Download/Sale Start Date and time Tender Document Download/Sale End Date and time	From 03.01.2024 10:00 AM To 17.01.2024 01:00 PM
Date and time for submission of offline bid	On 17.01.2024 up to 01:00 PM
Date and time of opening of Technical and Financial bid at NSC, HQ, Suratgarh	17.01.2024 on 3.00 PM
Tender Fee (to be deposited online/RTGS/NEFT/D.D.)	Rs. 236/- (Rs. 200+18% GST)
EMD Fee (to be deposited online/RTGS/NEFT) refer point no. 02 of T&C	Rs. 8000/-
Address for communication	Farm Head, National Seeds Corporation Limited, Central State Farm, Suratgarh (Raj.)
Contact Persons (with Phone No. & Email)	Sh. Sukhdeep Singh, Asst. Manager(Production) Mob.- 08901571906 Email:- ago.csfsuratgarh@gmail.com
	Sh. Aman Kumar, Junior Officer I (Agriculture), Mob:- 8178435683, Email:- hortcsfsog@gmail.com

DECLARATION OF NON-BLACKLISTING

I/We……………………………………………Proprietor/Partner/Authorized signatory of M/S…………………...………… do hereby solemnly confirm and declare as under:

1. My above mention firm / name is not been Black listed/ Delisted/ Prosecuted by any Central/ State/ U.T. Government Organizations/ Departments/Autonomous body / Research institutions/ Corporations from participation in tenders/ contracts.
2. That there is no criminal case pending against me in the Court of law.
3. I/We understand that if during any stage of fruit Contract awarded to me by Central State Farm, Suratgarh, Shri ganganagar, it comes to knowledge that any information/documents related to fruit contract submitted by me are false then CSF, Suratgarh, Shri ganganagar may take disciplinary action against me as per terms and conditions of the fruit Contact.

Verified that contents of above declaration are correct and true to the best of my knowledge and belief. Nothing has been concealed by me herein.

Signature: --------------------------

Place: -------------------------

Name of Authorized Signatory: -------------------------

Date: -------------------------

Address: -------------------------

Phone/Mobile No: -------------------------

Technical Requirement of Tender

PARTICULARS	DETAILS
Copy of GST Registration	
Copy of Pan Card	
Copy of valid ID Proof i.e. Aadhar Card etc.	
Copy of Firm Letter Head	
Experience Related Document	
Details of EMD Deposite (Rs.)	
Terms & Conditions of Tender duly signed Note : Each page of Terms & Conditions should be signed by contractor/Tenderer	
Undertaking regarding non-blacklisting of his firm/Individual.	

Signature with Stamp :

Name :

Address :

Mobile and E Mail ID :

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(भारत सरकार का उपक्रम - "मिनी रत्ना' - कम्प नी)
केन्द्रीय राज्य फार्म
सूरतगढ़, श्रीगंगानगर, राजस्थान-335804
सीआईएन:यू74899डीएल1963जीओआई 003913
(आईएसओ 9001:2015 व 14001:2015 प्रमाणित कंपनी)

(A Government of India Undertaking "Mini Ratna" Company)
CENTRAL STATE FARM
Suratgarh, Sriganganagar, Rajasthan-335804
CIN:U74899DL1963GOI 003913
(An ISO 9001:2015 & 14001:2015 Certified Company)

दूरभाष/Phone: 01509-220006, 220084, 223877
वेबसाईट/Website: www.indiaseeds.com ईमेल/ E-mail: csf.suratgarh@indiaseeds.com

No. CSF/SOG/HRT/02/2023-24/ दिनांकः–..........................

बाग के फलदार पोधो की कटाई छटाई एवं निराई गुड़ाई हेतू टेण्डर फार्म वर्ष 2023–24

मैं/हम घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने निविदा के आवश्यक नियमों और शर्तो को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है और मैं/हम अनुबंध के सभी नियमों और शर्तों का पालन करेंगे और विभिन्न कार्यों के लिए मेरी/हमारी न्यूनतम दरों का विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र. सं.	कार्य विवरण	बड़े पेड़ 3 वर्ष से अधिक आयु	छोटे पोधे 3 वर्ष से कम आयु
		नई दरें (रूपये / प्रति पोधा)	नई दरें (रूपये / प्रति पोधा)
1.	फलदार पेड़ों की सूखी टहनियों की कटाई, छंटाई करना, कटी लकड़ी को पेड़ों के नीचे से उठाकर खेत से बाहर जलाना।	किन्नू .... माल्टा / मौसमी .... बेल .... नीबू .... अंवला .... अनार .... अमरूद	
2.	फलदार पेड़ो व पोधो की निराई–गुड़ाई कर उर्वरक डालने का कार्य :		

ठेकेदार के हस्ताक्षर———————————

ठेकेदार का नाम———————————

पता ————————————

————————————————

————————————————

दिनांकः......................

स्थानः.......................

आधार नं0——————————

पेन नं0——————————

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(भारत सरकार का उपक्रम - "मिनी रत्न" - कम्पdनी)
केन्द्रीय राज्य फार्म
सूरतगढ़, श्रीगंगानगर, राजस्थान-335804
सीआईएन:यू74899डीएल1963जीओआई 003913
(आईएसओ 9001:2015 व 14001:2015 प्रमाणित कंपनी)

(A Government of India Undertaking "Mini Ratna" Company)
CENTRAL STATE FARM
Suratgarh, Sriganganagar, Rajasthan-335804
CIN:U74899DL1963GOI 003913
(An ISO 9001:2015 & 14001:2015 Certified Company)

दूरभाष/Phone: 01509-220006, 220084, 223877
वेबसाईट/Website: www.indiaseeds.com ईमेल/ E-mail: csf.suratgarh@indiaseeds.com

No. CSF/SOG/HRT/02/2023-24/ दिनांकः 02.01.2024

बाग के फलदार पोधो की कटाई छटाई के कार्यों के लिए नियम व शर्तें वर्ष 2023–24

1. बाग के फलदार पोधो की कटाई छटाई के कार्यों का टेण्डर/नीलामी में भाग लेने से पूर्व कम से कम दो पहचान पत्र, जैसे चुनाव आयोग द्वारी पहचान पत्र, ड्राईविंग लाईसेन्स, खेत का खसरा–खतोनी, पैन कार्ड आदि प्रस्तुत करना होगा जिससे ठेकेदार का नाम, पता आदि की सही जानकारी हो सके। यदि बोलीदाता/ठेकेदार कोई साझीदारी फर्म है तो उक्त कागजात साझेदारों से सम्बन्धित हो। यदि बोलीदाता/ठेकेदार कोई पंजीकृत प्रमाण–पत्र व निदेशक मण्डल के सदस्यगण की सूची व उक्त वर्णित कागजात मे से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।
2. निविदा में भाग लेने के लिए उद्यानिकी कार्यों में कम से कम एक वर्ष का तजुर्बा होना अनिवार्य है जिससे सम्बंधित दस्तावेज जेसे कार्य आदेश निविदा भरते समय प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा।
3. प्रत्येक बोलीदाता/निविदादाता को बोली/टेण्डर में भाग लेने से पहले **निविदा प्रपत्र राशि 236/– रुपये (200+18% GST) व ईएमडी राशि रूपये 8000/– (रूपये आठ हजार)** जो **"राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड", सुरतगढ़** के नाम देय हो फार्म खजाँची के पास जमा कराना होगा।
4. सफल बोलीदाता/निविदादाता को समझौते के साथ **धरोहर राशि (Security Money) 20000/–** जमा करानी होगीं। सफल बोलीदाता/निविदादाता के उचित अनुरोध पर उक्त राशि में ईएमडी की राशि भी समायोजित की जा सकती है। सुरक्षा राशि कार्य की संतोषजनक समाप्ति के बाद में बिना ब्याज के बापस कर दी जायेगी ।
5. फार्म खातों का विवरण निम्न प्रकार है –

Account No	: 34056542572
IFSC Code	: SBIN0007774
Name of Account holder	:NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD SURATGARH
Bank Name	: **State Bank of India, Suratgarh**

6. निविदा की उच्च निविदा दर की स्वीकृति/अस्वीकृति एक पखवाड़ा के अंदर घोषित कर दी जायेगी। निदेशक को बिना कारण बताये किसी एक या सभी प्रस्तावों को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार होगा।
7. कार्यों के लिए पर्याप्त मात्रा में समय से श्रमिकों की व्यवस्था करनी होगी जो कि उद्यान प्रभारी से एक दिन पहले मालूम करना होगा।
8. सफल बोलीदाता/निविदादाता को ठेके के सम्बन्ध में एक **समझौता (एग्रीमेन्ट) रूपये 500/– के नोन ज्युडिशियल** स्टाम्प पेपर जो ठेकेदार द्वारा खरीदा जायेगा, पर करना होगा। जो कार्य आदेश जारी **होने के 7 दिवस मे जमा कराना होगा**।
9. यह अनुबंध दोनों फर्मो के बीच समझौता होने की तिथि से लागू होगा और अनुबंध की वैधता अवधि के अनुसार मान्य होगा। एक बार अनुबंध को अंतिम रूप देने के बाद सहमत दरें अनुबंध की अवधि के लिए मान्य होंगी जैसा कि निविदा में निर्धारित है । अनुबंध को पारस्परिक रूप से सहमत अवधि के लिए समान नियम–शर्त और दरों पर आगे बढ़ाया जा सकता है ।
10. फर्म द्वारा एकबार उद्धृत मूल्य अनुबंध की अवधि के लिए बिना किसी वृद्धि/वृद्धि के किसी भी कारण से जहां भी अनुबंध में विशेष रूप से प्रदान किया गया हो के लिए रहेगा ।
11. ठेकेदार को जो उक्त कार्य आवंटित किया गया है, वह दूसरे ठेकेदार को कार्य सबलेट नही करेगा तथा उस कार्य क्षेत्र मे वह संदिग्ध व्यक्तियों को नही रखेगा। उक्त कार्य पर लगाये जाने वाले प्रतिनिधि, जिसको वह कार्य करने के लिए अधिकृत करता है, उसके हस्ताक्षर मय फोटो **अखरे रूपये पचास के स्टाम्प पेपर पर नोटेरी** से तस्दीक करवाकर, उसकी मूल प्रति देगा तथा छाया प्रति जोकि वह फार्म पर कार्य के दौरान अपने पास अवश्य रखेगा व कार्य स्थल पर मांगने पर दिखायेगा ।

12. उद्धृत मूल्य पीएफ, ईपीएलआई, ईएसआई, बोनस, बीमा और किसी भी अन्य वैधानिक देनदारियों के समावेशी होगा ।

13. मूल्य उद्धृत करते समय बोलीदाता/निविदादाता को राजस्थान सरकार के प्रचलित लागू न्यूनतम वेतन (Minimum wages) को ध्यान में रखना चाहिए। ह बोलीदाता की जिम्मेदारी है कि वह अनुबंध के तहत किए जाने वाले सभी दायित्वों के बारे में खुद को शिक्षित करे।

14. कोई भी ठेकेदार या ठेकेदार का श्रमिक फार्म क्षेत्र में पशु नहीं रखेगें यदि कोई ठेकेदार पशु रखते हुए पाया गया तो ठेकेदार का ठेका रदद् किया जा सकता है।

15. यदि कोई ठेकेदार ठेका लेने/सहमति पत्र पर स्वीकृति के बाद कार्य करने के लिए पर्याप्त श्रमिकों का प्रबन्ध समय से नहीं कर पाता है तो उद्यान प्रभारी/खण्ड प्रभारी अपने स्तर पर प्रबन्ध करेगें यदि इस कार्य में निर्धारित दर से अधिक देना पड़ता है या निगम को कोई हानि होती है तो वह राशि ठेकेदार के बिलों से काटी जायेगी।

16. कटाई छटाई के कार्यों को करने के लिए कस्सी, औजार ठेकेदार/ ठेकेदार के मजदूर स्वयं लेकर आयेगें।

17. कटाई छटाई के बाद मोटी लकड़ी फार्म में जमा करनी होगी व पतली लकड़ी उद्यान के बाहर जलानी होगी ।

18. फलदार पौधों की कटाई छटाई की जांच का कार्य निदेशक द्वारा गठित कमेटी द्वारा किया जायेगा। यदि कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया तो ठेकेदार को उस कार्य को दोबारा निःशुल्क करना होगा। दोबारा कराये गये कार्य का बिल नहीं बनाया जायेगा तथा असंतोषजनक कार्य की वजह से फसल की पैदावार पर प्रतिकूल असर पड़ा तो निदेशक महोदय द्वारा गठित कमेटी के आंकलन के हिसाब से ठेकेदार के अन्य कार्य के बिलों से उस नुकसान की भरपाई कर ली जावेगी।

19. ठेकेदार की लापरवाही अथवा मजदूरों की उचित व्यवस्था न होने के कारण यदि फार्म को किसी भी प्रकार का नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई ठेकेदार के बिल से की जावेगी।

20. श्रमिक ठेकेदार द्वारा फार्म मे रिश्वत/उपहार अथवा किसी प्रकार का प्रलोभन दिया जाना दण्डनीय अपराध होगा।

21. किसी भी प्रकार के कार्य के लिए किसी भी निश्चित समय पर कोई अग्रिम देय नहीं होगा ठेकेदार अपने खर्च पर संसाधनों श्रमिको की व्यवस्था करेगा। विषेश स्थिति में फार्म प्रमुख का निर्णय अंतिम होगा।

22. कार्य का भुगतान कार्य की समाप्ति के बाद ही किया जायेगा तथा बिल में से आवश्यकतानुसार टैक्स आदि की कटौती की जावेगी। कार्य समाप्ति के बाद 7 दिवस में बिल बनाकर भुगतान हेतु प्रस्तुत करना होगा एवं बिल राशि का भुगतान ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराये गये स्वयं/फर्म के बैंक खाते में ही किया जायेगा। किसी कारण से श्रमिक ठेकेदार को बिल के भुगतान में देर होने पर भी श्रमिक ठेकेदार को कार्य समय पर पूरा करवाना होगा।

23. श्रमिक ठेकेदार को उसके मजदूरों का भुगतान स्वयं ही करना होगा तथा सभी प्रकार की वैधानिक जिम्मेदारी जैसे की कर सम्बधित, भविष्य निधि, ई.एस.आई इत्यादि श्रमिक ठेकेदार की होगी। भुगतान का पूर्ण विवरण रखना होगा जो कि आवश्यकता होने पर फार्म द्वारा कभी भी जॉचा जा सकता है तथा बिल प्रस्तुत करते समय भविष्य निधि/ई.एस.आई की चालान की प्रति साथ लगानी होगी (***उक्त स्थिति रजि. फर्मो के टेण्डर में पार्टिसिपेषन पर लागू होगी**)।

24. ठेकेदार को मजदूरों को लाने ले जाने अथवा रहने आदि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। यदि किसी परिस्थितिवश मजदूरों को लाने ले जाने की व्यवस्था फार्म को करनी पड़ी तो वह पूरा खर्चा फार्म की निर्धारित दरों पर ठेकेदार द्वारा देय होगा।

25. यदि ठेकेदार व उसके मजदूरों के बीच किसी तरह का विवाद न्यायालय में जाता है तो ठेकेदार फार्म का बचाव अपने खर्चे पर करेगा। यदि फार्म को न्यायालय में अपना बचाव स्वयं करना पड़ा तो, जो भी खर्चा फार्म को होगा वह ठेकेदार से भरपाई किया जायेगा।

26. फार्म में कार्य के दौरान ठेकेदार या उसके आदमियों के साथ किसी प्रकार की दुर्घटना या किसी प्रकार की शारीरिक क्षति होने की स्थिति में फार्म किसी भी प्रकार से जिम्मेवार नहीं होगा।

27. बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम,1986 के अनुसार बच्चो व शराब पीऐ हुऐ मजदूरों को फार्म में कार्य पर लगाना व उनसे कार्य करवाना सख्त मना है।

28. श्रमिक ठेकेदार अपने मजदूरों को दवाई (बीज उपचार एवं फसलों में स्प्रे करवाते समय) का कार्य करते समय मास्क व दस्ताने स्वयं देने होगें। फसलों में स्प्रे करते समय अथवा बीजों का उपचार करते समय **बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं व बीमार मजदूरों** को काम पर नहीं लगायेगा तथा उद्यान इन्चार्ज द्वारा बताये गये निर्देशों का पालन करेगा। कार्य के दौरान उक्त श्रमिकों को दवाई लगने की स्थिति में, श्रमिक ठेकेदार स्वयं अपने खर्च पर उपचार करवायेगा।

29. यदि किसी ठेकेदार द्वारा कार्य संतोषजनक पूर्ण नही किया जाता है तो उसकी धरोहर राशि को जब्त करते हुए उसका नाम 02 वर्षों के लिये डिबार सूची में डाल दिया जायेगा।

30. सफल बोलीदाता/निविदादाता को आवंटित उद्यान में यदि उसके द्वारा कार्य समय से नही किया जाता है या कार्य हेतु मजदूर उपलब्ध नही कराया जाता है तो ऐसी स्थिति में उक्त कार्य किसी अन्य ठेकेदार से सफल निविदादाता की दर से करा लिया जायेगा, जिससे उसे कोई ऐतराज नही होगा।

31. किसी भी पक्ष के किसी भी गोपनीय जानकारी का खुलासा करने के लिए कानूनी रूप से मजबूर होने की स्थिति में, ऐसा पक्ष दूसरे पक्ष को पर्याप्त नोटिस देगा ताकि दूसरा पक्ष समय पर सुरक्षात्मक आदेश या किसी अन्य को उचित राहत के रूप में लेने में सक्षम हो सके। यदि ऐसा आदेश या अन्य राहत प्राप्त नहीं की जा सकती है, तो इस तरह के प्रकटीकरण के लिए आवश्यक पार्टी गोपनीय जानकारी का खुलासा केवल उस सीमा तक करेगी जो कानूनी रूप से आवश्यक है और आगे नहीं।

32. इस समझौते के किसी प्रावधान का कोई भी संशोधन किसी भी स्थिति में तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि दोनों पक्षों द्वारा परस्पर सहमति और लिखित रूप से सहमति नहीं दी जाती है। इस समझौते में किए गए किसी भी संशोधन की सूचना एनएससी को दी जाएगी।

33. इस समझौते के तहत दिया जाने वाला कोई भी नोटिस लिखित रूप में होगा और इसे पार्टियों को विधिवत और उचित रूप से दिया गया माना जाएगा यदि पार्टि के खिलाफ या पंजीकृत मेल द्वारा पार्टि के साथ, पंजीकृत पते पर पार्टियों को संबोधित किया गया है या ऐसे बदले गए हैं पते के रूप में पार्टियों द्वारा समय–समय पर एक दूसरे को विधिवत अधिसूचित किया जाएगा।

34. दोनों पक्ष एक–दूसरे को, उनके सहयोगियों, शेयरधारकों, अधिकारियों, निदेशकों, कर्मचारियों, एजेंटों, प्रतिनिधियों और ग्राहकों को किसी भी और सभी लागतों, देनदारियों, हानियों और खर्चों (जिसमें उचित शुल्क शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है) से क्षतिपूर्ति और हानि रहित रखेंगे। किसी भी दावे, मुकदमे, कार्रवाई या कार्यवाही (प्रत्येक, एक "कार्रवाई"), इस समझौते के तहत किसी भी कार्य (ओं) और चूक के लिए या किसी भी आकस्मिक मामले या किसी भी तरह से उत्पन्न होने से उत्पन्न होता है।

35. इस समझौते में कोई संशोधन या किसी भी अधिकार की छूट तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि पार्टियों द्वारा आपसी सहमति से लिखित रूप में सहमति नहीं दी जाती है। इस समझौते की किसी भी शर्त को लागू करने में किसी भी पक्ष द्वारा विफलता या चूक या उपेक्षा को किसी भी अन्य अधिकारों की छूट के रूप में नहीं माना जाएगा, जो इस तरह के प्रावधान के बाद के प्रवर्तन को रोकने या इसके उल्लंघन के लिए हर्जाने की वसूली को रोकता है।

36. इस घटना में कि कोई भी पक्ष इस समझौते की शर्तों के तहत अपने दायित्वों को भगवान के कृत्यों, हमलों, उपकरण या ट्रांसमिशन विफलता या उसके नियंत्रण से परे क्षति, या अन्य कारणों से उचित रूप से अपने नियंत्रण से बाहर करने में असमर्थ है, तो ऐसी पार्टी उत्तरदायी नहीं होगी प्रदर्शन करने में विफलता या ऐसे कारणों से अन्यथा होने वाले किसी भी नुकसान के लिए दूसरे को नुकसान के लिए।

संदेह से बचने के लिए, अप्रत्याशित घटना में (1) वित्तीय संकट और न ही किसी भी पक्ष की लाभ कमाने या वित्तीय हानि से बचने में असमर्थता, (2) बाजार की कीमतों या शर्तों में परिवर्तन, या (3) एक पार्टी की वित्तीय अक्षमता शामिल नहीं होगी इसके तहत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए।

37. **Arbitration clause (मध्यस्थता खंड) :** यदि किसी भी शर्त या मामले के कारण एनएससी और दूसरी पार्टी के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो दोनों पक्ष इस आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से हल करने का विकल्प चुनेंगे। यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है, तो यह समय–समय पर संशोधित किए गए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत मुद्दों को हल करनें के लिए पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। इस प्रावधान के तहत, दोनों पक्षों की सहमति से राष्ट्रीय बीज निगम के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक इस मुद्दे को हल करनें के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करेंगे और दोनों पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा। पार्टियां कानून के न्यायालय में जानें से पहले मध्यस्थता के माध्यम से इस विवाद को हल करने के लिए बाध्य होंगे। मध्यस्थता नई दिल्ली में और अग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी। न्याय क्षेत्राधिकार दिल्ली की अदालत होगा।

सहा. प्रबंधक (उत्पादन)

निविदादाता के हस्ताक्षर